बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–कृ०नि०वि०को०–10/2014 3/18 /कृ0, पटना, दिनांक 3/7/ 2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। (*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **राज्य योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों की टुटी हुई दीवार की घेराबन्दी के लिये 10,00,00,000 (दस करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन तत्काल 9,03,63,050 (नौ करोड़ तीन लाख तिरेसठ हजार पचास) रूपये मात्र निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कृषि उत्पादनों के विपणन की नई राज्य योजना अधीन कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों की टुटी हुई दीवार की घेराबन्दी हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 10,00,00,000 (दस करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन तत्काल 9,03,63,050 (नौ करोड़ तीन लाख तिरेसठ हजार पचास) रूपये मात्र निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों की टुटी हुई दीवार की घेराबन्दी पर की जायेगी। तत्काल 15 (पन्द्रह) कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों के टुटी हुई दीवार की घेराबन्दी पर की जायेगी। योजना का ससमय अनुश्रवण एवं योजनाओं के प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर नजर रखने की जिम्मवारी सम्बन्धित बाजार समिति (विघटित) के अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी की होगी। उक्त योजना का घटकवार विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) का नाम	घेराबंदी का प्रस्ताव	कुल अनुमानित लागत (पाइल फाउन्डेशन रू० 9,25,000/100 मी०)
1	बिहटा (पटना)	800	7400000
2	सासाराम	800	7400000
3	नोरवा (रोहतास)	1700	15725000
4	मोहनिया(कैमूर)	650	6012500
5	पटना सिटी (पटना)	310	2867500
6	नटवार (रोहतास)	1450	13412500
7	बिहार शरीफ	200	1850000
8	चनपटिया (प० चम्पारण)	1535	14198750
9	नरकटियागंज (प० चम्पारण)	440	4070000
10	किशनगंज	75	693750
11	ठाकुरगंज	15	138750
12	बहादुरगंज	115	1063750
13	गुलाब बाग (पूर्णिया)	110	1017500
14	कटिहार	भवन प्रमंडल, कटिहार द्वारा	2626800

		प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार	
15	दाउदनगर	1285	11886250
	कुल योग	**9485**	**90363050**

(नौ करोड़ तीन लाख तिरसठ हजार पचास रू०)

3. उक्त योजना अन्तर्गत तत्काल स्वीकृत एवं उपलब्ध राशि 7,80,00,000.00 (सात करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र का व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00 लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0103 नई कार्य योजना का राज्यांश एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कम्प्युटरीकरण विपत्र कोड P2401000010103 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–5010 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित कुल 7,80,00,000.00 (सात करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र से विकलनीय होगा।

4. उक्त योजना अन्तर्गत तत्काल स्वीकृत एवं उपलब्ध राशि 1,23,63,050 (एक करोड़ तेईस लाख तिरसठ हजार पचास) रूपये मात्र का व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0124 नई कार्य योजना का राज्यांश एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कम्प्युटरीकरण विपत्र कोड – P2401007890124 राज्य योजना स्कीम कोड AGR–5010 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के बजट में उपबन्धित कुल 2,00,00,000.00 (दो करोड़) रूपये मात्र से विकलनीय होगा।

5. कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों की टुटी हुई दीवार की घेराबन्दी कार्य पाइल फाउन्डेशन द्वारा लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑरगेनाईजेशन कार्यान्वयन एजेन्सी का कार्य करेगा।

6. उक्त योजना की स्वीकृति राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा BTC-42 प्रपत्र पर लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑरगेनाईजेशन से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 (वि०) (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में योजना कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। जिसका कार्यवाही ज्ञापांक 2664 दिनांक 09.06.2015 है।

9. विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित योजना की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका कृ० नि० वि० को०–10/2014 के पृष्ठ सं० 39/टि० पर दिनांक 27.6.2015 को प्राप्त है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग का डायरी संख्या × दिनांक × है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
29/6/15
(रामजी सिंह)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3118 /कृ0, पटना, दिनांक 3/7/, 2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकर (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3118 /कृ0, पटना, दिनांक 31/7/ 2015

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3118 /कृ0, पटना, दिनांक 31/7/ 2015

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3118 /कृ0, पटना, दिनांक 31/7/ 2015

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, पी० पी० एम०, (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, उद्यान/निदेशक, बामेती/उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रौन, पटना/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०)/सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं उद्यान निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।